

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

28/9/24

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। जबाव पेरोकार सरकार के द्वारा आदेशिका पर अंकित किया गया व तहसीलदार हिण्डोली से नाम शुद्धि बाबत जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल है। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता की सयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 276, 63 ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा व खाता संख्या 29 ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा में दर्ज होना अंकित करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का नाम कान्हा, कन्हैयालाल पुत्र पाथ्या व कान्हा वगैरे पुत्र नाथू अंकित हो रहा है। जबकि प्रार्थी का सही नाम कन्हैयालाल व पिता का नाम फातूलाल है। जबकि प्रार्थी का नाम व उसके पिता का नाम ग्राम टोंकडा/ब्राह्मणों की झौपडिया के राजस्व रिकॉर्ड में कान्हा पिता पाथ्या व कान्हा पिता नाथू दर्ज हो जाने से उसे किसी भी प्रकार की सरकारी सहायताओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कान्हा पुत्र पाथ्या व कान्हा पुत्र नाथू के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र फातूलाल दर्ज किया जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जबाव अप्रार्थी का अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2013 से 2016 ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया ,आधार कार्ड संख्या 684004289629, भामाशाह कार्ड संख्या YISCUWS, जन आधार कार्ड संख्या 4707551226, बैंक खाता पास बुक बडौदा राज 0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पेंच की बावडी खाता संख्या 42230100001565, परिवार राशन कार्ड संख्या 009372700026 ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया प्रस्तुत किये हैं जिनमें प्रार्थी व उसके पिता का नाम कन्हैयालाल पिता फातूलाल अंकित है। जबाव सरकार में प्रार्थी व उसके पिता का नाम कान्हा पिता पाथ्या व कान्हा, चौथमल, मूलचन्द, महावीर, हीरा पुत्र नाथू के स्थान पर कन्हैयालाल पिता फातूलाल व कन्हैयालाल, चौथमल, मूलचन्द, महावीर, हीरा पुत्र फातूलाल शुद्ध दर्ज किया जाना उचित बताया है। एवं तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट अनुसार कान्हा पुत्र पाथ्या, कान्हा पुत्र नाथू का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र फातूलाल व चौथमल, मूलचन्द, महावीर, हीरा पुत्र नाथू के स्थान पर चौथमल, मूलचन्द, महावीर, हीरा के पिता का सही नाम फातूलाल होना अंकित किया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 276, 63 ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा में दर्ज कान्हा पुत्र पाथ्या के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र फातूलाल व खाता संख्या 29 ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा में दर्ज कान्हा पुत्र नाथू के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र फातूलाल व इसी प्रकार भूमि खाता संख्या 276, 63 ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा में दर्ज चौथमल, मूलचन्द, महावीर, हीरालाल पुत्र पाथ्या के स्थान पर चौथमल, मूलचन्द, महावीर, हीरालाल पुत्र फातूलाल व खाता संख्या 29 ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा में दर्ज चौथमल, मूलचन्द, महावीर, हीरा पुत्र नाथू के स्थान पर चौथमल, मूलचन्द, महावीर, हीरालाल पुत्र फातूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर रकम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखा जाकर सुनाया गया।

अध्या
तालुका विधिक सेवा समिति
हिण्डोली जिला बन्दी (राज.)
कोड नं० 24971

41
तहसीलदार हिण्डोली
जिला बन्दी (राज.)